

9.12.2024:-पत्रावली पेशी मे ली गई। वादी अधिवक्ता अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया वादी अधिवक्ता द्वारा वादपत्र मे आवश्यक कार्यवाही नही कि जा रही है। वादी व वादी अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगाई गई। आवाज लगाने के उपरान्त भी असालतन/वकालतन उपस्थित नही आये। वादी अधिवक्ता के उपस्थित नही आने के कारण प्रार्थन पत्र प्रार्थी अदम पैरवी/अदम हाजरी मे खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तकमील दाखिल दफतर हो।

01/12/24  
महायक कलक्टर  
एव उपखण्डाधिकारी  
हनुमानगढ

